उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

अति आवश्यक सूचना

क्रमांक C/4038/ जबलपुर दिनांक 30/08/2018

चार–12–17/2017

निर्देशानुसार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर पदस्थ सभी शासकीय सेवकों को सूचित किया जाता है कि म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के तहत् वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अंतर की राशि का भुगतान लेखा शाखा द्वारा किए जाने बाबत् कार्यवाही की जा रही है।

म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में संलग्न प्रपत्र–3, वचनपत्र एवं प्रपत्र–4 प्रतिभूति नियमानुसार कार्यालय में आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के संलग्न प्रपत्र–3, वचनपत्र एवं प्रपत्र–4 प्रतिभूति दो–दो प्रतियों में दिनांक 31.08.2018 तक मूल रूप में पेंशन शाखा में प्रस्तुत करें ताकि अंतर की राशि का भुगतान किया जा सके।

–सही/–
(ए.के.महोबिया)
ओ.एस.डी. लेखा

पृष्ठांकन क्रमांक C/4039/ जबलपुर दिनांक 30/08/2018

चार–12–17/2017

प्रतिलिपिः

1. सहायक कम्प्यूटर ऑपरेटर, आई.टी अनुभाग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
संलग्नः– प्रपत्र–3, वचनपत्र एवं प्रपत्र–4 प्रतिभूति का प्रारूप
2. लेखाधिकारी (लेखा), अनुभाग अधिकारी लेखा/सहायक वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सहायक प्रोटोकॉल आफिसर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से उपरोक्तानुसार प्रपत्र की पूर्ति कराकर पेंशन शाखा में भिजवाने हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निर्देशित करें ताकि अंतर की राशि का भुगतान किया जा सके।

30/08/2018
(ए.के.महोबिया)
ओ.एस.डी. (लेखा)

प्रपत्र-तीन

वचन पत्र (Undertaking)

मुझे यह ज्ञात है कि दिनांक 01-01-2016 से स्वीकृत मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत मेरा जो वेतन नियतन अभी पुनरीक्षित वेतन मेट्रिक्स में किया गया है वह अनन्तिम (Provisional) है । मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं राज्य शासन को वह संपूर्ण राशि जो कि वेतन नियतन में अनियमितता के कारण तथा अन्य कोई भी धनराशि जो कि इस प्रकार वेतन नियतन के कारण मुझे अधिक भुगतान की गई है, शासन के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित राशि वापस करूंगा/करूंगी तथा इस प्रकार की राशि मेरे देय स्वत्वों से जिनमें- पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण की राशि भी सम्मिलित है, काटी जा सकेगी । मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि यदि उक्तानुसार मेरे द्वारा देय राशि को मैं लौटाने में असमर्थ रहता/रहती हूँ, तो इस देय राशि की वापसी के लिए मैं अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रतिनिधियों ओर समनुदेशितियों को आबद्ध करता/करती हूँ । मैं यह भी सहमति देता/देती हूँ कि मेरे द्वारा देय राशि मुझसे राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर ली जाए ।

साक्षी	हस्ताक्षर शासकीय कर्मचारी
हस्ताक्षर	पदनाम
पता-	स्थान
दिनांक	दिनांक

//Adesh//Employ/2016

प्रपत्र-चार

प्रतिभूति का प्रारूप

श्री/श्रीमती/कुमारी - पदनाम - - - - - - - कार्यालय - को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन मेट्रिक्स में वेतन नियतन होने के कारण दिनांक - - - - - - - - -से दिनांक - - - - - - - तक ₹- - - - - - - - - (शब्दों में) ₹- की अवशेष राशि (एरियर) का भुगतान किया जा रहा है ।

हम श्री/श्रीमती/कुमारी - एवं श्री/श्रीमती/कुमारी - कार्यालय - - - - की स्थापना के स्थाई शासकीय सेवक हैं तथा क्रमशः वेतन राशि ₹- - - - - - - - (शब्दों में) ₹- प्रतिमाह आहरण करते हुए श्री/श्रीमती/कुमारी - को प्रतिभू होने के लिए यह सहमति प्रदान करते हैं कि यदि श्री/श्रीमती/कुमारी - - - - - - - - - - - - - - - - - - को उपरोक्तानुसार एरियर्स का भुगतान होने जा रहा है, उसमें यदि शासन के नियम के अनुरूप अधिक भुगतान होना पाया जाता है, एवं उक्त शासकीय सेवक अधिक भुगतान की गई राशि को लौटाने में असमर्थ हैं तो हम उसका भुगतान करेगें और हम स्वयं को अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रतिनिधियों और समनुदेशतियों को इस प्रकार के भुगतान हेतु आबद्ध करते हैं । हम यह भी सहमति देते हैं कि हमारे द्वारा देय राशि हम दोनों से संयुक्त रूप से या अलग-अलग भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर ली जाए ।

आज दिनांक 22 माह जुलाई सन् 2017 को हस्ताक्षरित किया गया ।

साक्षी :-
हस्ताक्षर

1 - - - - - - - - - - - - - -
नाम
पदनाम

2 - - - - - - - - - - - - - -
नाम
पदनाम

1. प्रतिभू के हस्ताक्षर
नाम व पदनाम - - - - - - - - - - - - -

2. प्रतिभू के हस्ताक्षर
नाम व पदनाम - - - - - - - - - - - - -

प्रतिहस्ताक्षरित
नाम - - - - - - - - - - -
(कार्यालय प्रमुख)

(X) जो लागू न हो उसे काट दीजिए

//Adesh/Employ/2016